राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 250 /2009

डॉ. ओम प्रकाश **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

..

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.10.2009
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त श्रीमाली, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सिविल सहायक सर्जन के पद पर दिनांक 09.03.1976 (अनुलग्नक–1) को हुई थी। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.03.1976 (अनुलग्नक–2) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। संचार विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 17.11.1980 (अनुलग्नक–3) के द्वारा जानकारी मांगी गई कि अपीलार्थी काम कर रहा है या छुट्टी पर है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.03. 1982(अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को पुनः सिविल सहायक सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02. 03.1979 से 01.01.1983 तक अस्थायी सेवा से वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण एवं अन्य वित्तीय लाभ का भुगतान नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 22.11.1994 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं सिविल सहायक सर्जन के पद पर निरन्तर मानने का निर्देशदिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार अपीलार्थी को दिनांक 06.07.1998 (अनुलग्नक–6) के द्वारा

वेतन वृद्धि प्रदान की गई। अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को दिनांक 07.02.2002 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी ने दिनांक 21.08.1978 से 25.03.1982 तक की अवधि के लिए छुट्टी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर ने दिनांक 07.02.2002 के क्रम में दिनांक 18.03.2002 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी से जानकारी मांगी गई। अधीक्षण, चिकित्सालय समूह, जोधपुर द्वारा दिनांक 18.03.2002 के अनुसरण में दिनांक 26.04.2002 (अनुलग्नक–9) के द्वारा अपीलार्थी के अवकाश प्रकरण के संबंध में चाही गई सूचना भिजवाई गई। अधीक्षण चिकित्सालय समूह, जोधपुर द्वारा दिनांक 14.08.2003(अनुलग्नक–10) के द्वारा निदेशक को प्रेषित कर अपीलार्थी का अवकाश स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। अतिरिक्त निदेशक, के आदेश दिनांक 04.07.2007 (अनुलग्नक–11) के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि अस्थायी नियुक्ति/तदर्थ नियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी गई है तो इस नियमितीकरण का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी ने अतिरिक्त निदेशक को दिनांक 04.12.2007 (अनुलग्नक–12) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.08.1978 से 25.03. 1982 तक की अवधि का अवकाश स्वीकृत कराने एवं सेवा में व्यवधान को कण्डोन करते हुए दिनांक 17.03.1976 से सेवाओं को पेंशन योग्य स्वीकृत करने निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया (अनुलग्नक–13)। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.07.2007 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को दिनांक 21.08.1978 से 25.03.1982 तक की अवधि एवं तदर्थ नियुक्ति/ अस्थायी की अवधि के लए छुट्टी स्वीकृत की जावे तथा अपीलार्थी की पेंशन प्रयोजनों को संशोधित कर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समस्त पारिणामिक लाभ का भुगतान किया जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 12.03.1982 द्वारा सी. ए. एस. पद पर पूर्णतया अस्थाई तौर पर की गई थी। अपीलार्थी द्वारा अपनी तदर्थ सेवावधि को नियमित सेवा मानने के अनुरोध पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राज्य नियमानुसार एवं विधिपूर्ण पत्र दिनांक दिनांक 04.07.2007 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया कि अपीलार्थी की अस्थाई

नियुक्ति अवधि/तदर्थ नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। इस कारण इस अवधि को नियमित किए जाने का कोई आधार नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार किए जाने योग्य है एवं खारिज फरमायी जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, इसी प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य